III/पुनर्वि0/2018/रीवा/01874 65

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, म0प्र0 राजस्व मण्डल
सर्किट कोर्ट, रीवा (म0प्र0)

1– शंभू प्रसाद शुक्ला तनय जमुना प्रसाद शुक्ला

2– अजय कुमार शुक्ला

3– पुनीत कुमार शुक्ला } तीनो के पिता शम्भू प्रसाद शुक्ला

4– सुद्यांशु शुक्ला

सभी निवासी ग्राम नई खुटेही ढ़ेकहा, तह0–हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

————पुर्नविलोकनकर्ता

बनाम्

रवीन्द्र प्रसाद शुक्ला तनय बैजनाथ प्रसाद शुक्ला, साकिन नई खुटेही, ढेकहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरपुर्नविलोकनकर्ता

अधि0 श्री रजनीश मिश्रा द्वारा पेश/ 20-3-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

पुर्नविलोकन बावत् निगरानी प्रकरण क्र0–5242–II / 2016 आदेश दिनांक 07 / 03 / 2018 अंतर्गत धारा 51 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

पुर्नविलोकन के आधार निम्नलिखित है –

1– यह कि श्रीमान् का आदेश दिनांक 07 / 03 / 2018 विधि व तथ्य एवं अभिलेख की प्रकट भूल पर आधारित है ।

यह कि इस न्यायालय में एक ही सीमांकन आदेश दिनांक

(66)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

II / पुर्नविलोकन / रीवा / 2018 / 1874

शम्भू प्र0 शुक्ला विरूद्ध रवीन्द्र प्र0 शुक्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–6–18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 5242–दो / 16 में पारित आदेष दिनांक 07–03–2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेष का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेष पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेष किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य 21/6/18	